"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2009— माघ 10, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कृष्ण कुमार शर्मा आत्मज श्री भगवती प्रसाद शर्मा, आयु 44 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 33/बी, सड़क नं. 37, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम शर्मा को परिवर्तित कर कृष्ण कुमार धस्माना रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे कृष्ण कुमार धस्माना आत्मज श्री भगवती प्रसाद शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कृष्ण कुमार शर्मा	कृष्ण कुमार धस्माना
आत्मज श्री भगवती प्रसाद शर्मा	आत्मज श्री भगवती प्रसाद शर्मा
निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37	निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37
सेक्टर 4, भिलाई नगर	सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती ममता शर्मा पति श्री कृष्ण कुमार शर्मा, आयु 39 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 33/बी, सड़क नं. 37, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने उपनाम शर्मा को परिवर्तित कर श्रीमती ममता धस्माना रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती ममता धस्माना पति कृष्ण कुमार धस्माना के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती ममता शर्मा	श्रीमती ममता धस्माना
पति श्री कृष्ण कुमार शर्मा	पति श्री कृष्ण कुमार धस्माना
निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37	निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37
सेक्टर 4, भिलाई नगर	सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कृष्ण कुमार धस्माना आत्मज श्री भगवती प्रसाद, आयु 44 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 33/बी, सड़क नं. 37, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र सिद्धार्थ शर्मा का उपनाम परिवर्तित कर सिद्धार्थ धस्माना रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को सिद्धार्थ धस्माना आत्मज श्री कृष्ण कुमार धस्माना के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
सिद्धार्थ शर्मा	सिद्धार्थ धस्माना
आत्मज श्री कृष्ण कुमार शर्मा	आत्मज श्री कृष्ण कुमार धस्माना
निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37	निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37
सेक्टर 4, भिलाई नगर	सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कृष्ण कुमार धस्माना आत्मज श्री भगवती प्रसाद, आयु 44 वर्ष, निवासी क्वाटर नं. 33/बी, सड़क नं. 37, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपनी पुत्री सोनल शर्मा का उपनाम परिवर्तित कर सोनल धस्माना रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्री को सोनल धस्माना आत्मजा श्री कृष्ण कुमार धस्माना के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कु. सोनल शर्मा	कु. सोनल धस्माना
आत्मजा श्री कृष्ण कुमार शर्मा	आत्मजा श्री कृष्ण कुमार धस्माना
निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37	निवासी-क्वा. नं. 33/बी, सड़क नं. 37
सेक्टर 4, भिलाई नगर	सेक्टर 4, भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक 46/अ. वि. अ./वा-1/08.—आवेदक डॉ. गुरूदीप सिंह अरोरा, निवासी पंजाबी कालोनी, दयालबंद-बिलासपुर, छ. ग. द्वारा ी जी. टी. बी. एजुकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट " स्थान हनुमान मंदिर के पास, नेहरू नगर, बिलासपुर को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में हित और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा मेरे समक्ष में स्वयं अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(ट्रस्ट का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

	ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री जी. टी. बी. एजुकेशन एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट, स्थान-हनुमान मंदिर के पास, नेहरू नगर, जिला-बिलासपुर, छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

प्रमोद शर्मा,
पंजीयक.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 6 जनवरी 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखियें]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. न्यास नियम 1962 का नियम (5) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 73/प्र-3/लोक न्यास/अविअ/2008.— चूंकि श्रीमति राधिका सिंह मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, प्लाट नंबर 80 फेस -06, मैत्री नगर भिलाई को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लि आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05-02-2009 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना न्यास है और उसका गठन करती है. अत: मैं, सी. एल. यादव, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05-02- को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्च आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्रीमति राधिका सिंह मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, प्लाट नंबर 80, फेस -06, म भिलाई.
2.	अचल संपत्ति	:	निरंक
3.	चल संपत्ति	:	निरंक

दुर्ग, दिनांक 19 जनवरी 2009

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. न्यास नियम 1962 का नियम (5) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 130/प्र-3/लोक न्यास/अविअ/2009.— चूंकि श्री मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ट्रस्ट, दुर्ग को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 16-02-2009 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है. अत: मैं, सी. एल. यादव, तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 16-02-2009 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ट्रस्ट, दुर्ग
2.	अचल संपत्ति	:	निरंक
3.	चल संपत्ति	:	निरंक

सी. एल. यादव,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 12 जनवरी 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/परिसमापन/2009/45.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/943/ बिलासपुर दिनांक 6-5-2008 के तहत हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, टिकरकला, पंजीयन क्रमांक 3141 दिनांक 30-9-95 विकास खण्ड पेन्ड्रारोड, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के तहत श्री जी. डी. जयसिंह, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पेन्ड्रारोड को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था के निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 12-1-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.